खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 33 / 2025
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 विनियम 2011
उनवान खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम जितेन्द्र कुमार

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 33 / 2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2025 / 173

प्रार्थी :–		अप्रार्थी :–
दिलीपसिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली	बनाम	जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री लुम्बाराम चौधरी मैसर्सः– चौधरी ढाबा (जितु भाई), फालना रोड़ चौराया के पास, साण्डेराव, तहसील पाली।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.एस.ए एक्ट, 2006 नियम 2011

उपस्थितिः अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री छगनलाल प्रजापत।

–:निर्णयः–

दिनांकः 17.12.2025

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत जुर्म दफा 26 की उपधारा (2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 के अन्तर्गत विरुद्ध गैरसायल दिनांक 06.10.2025 को प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार प्रार्थी दिनांक 04.05.2025 को वक्त निरीक्षण खाद्य सुरक्षा अधिकारी मैसर्स चौधरी ढाबा जितु भाई, फालना रोड़ चौराया के पास,साण्डेराव़ तहसील सुमेरपुर राज. पर पहूचें तो वहां जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री लुम्बाराम चौधरी की होटल में लगभग 03 किलोग्राम पनीर (खाद्य सामग्री) रखे हुए था। उक्त खाद्य साम्रगी (पनीर) जिसको वह आम जन को बिक्री कर रहा था। उक्त खाद्य सामग्री में मिलावट का संदेह होने पर रुबरु गवाहान के सामने प्रपत्र 5ए भरकर दिया एवं दुसरी परत पर रसीद प्राप्त कर विक्रेता एवं मालिक को सूचित किया कि उक्त खाद्य सामग्री (पनीर) का नमूना वास्ते एफएसएसए एक्ट के अन्तर्गत जांच हेतु लिया जा रहा है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता व गवाहान की उपस्थिति में रखे हुए पनीर में से 01 किलोग्राम विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में खरीद किया जिसकी कीमत विक्रेता को 320 रुपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर मेरे व विक्रेता व उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर हैं। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता व गवाहान की उपस्थिति में चार लेबल तैयार कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली का कोड व सीरियल नम्बर आर–2547 लिखा व नमूना का विवरण अंकित किया गया। विक्रेता व गवाहान की उपस्थिति में खरीद किये गये पनीर (खाद्य सामग्री निर्माण स्थल से) को हिलामिला कर एकरुप करके चार साफ व सुखी बोतल में अलग–अलग बराबर मात्रा में लेकर प्रत्येक में 20–20 बुंद फोरमेलिन डालकर ढक्कन एयर टाईट बन्द किया। उक्त तैयार लेबल में से एक–एक लेबल प्रत्येक नमूना बोतल पर चिपकाया। प्रत्येक नमूना बोतल को अलग–अलग खाकी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 33/2025
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 विनियम 2011
उनवान खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम जितेन्द्र कुमार

कागज में लपेट कर सिरों को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाया व प्रत्येक नमूना बोतल पर डीओं एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली की हस्ताक्षरयुक्त पेपरस्लिप, कोड क्रमांक आर–2547 गोंद से नियमानुसार धागे से बांध कर चपडी से सीलबंद सीलमुहर किया, एक सील नमूना बोतल के मुंह पर एक सील पैंदे पर दो नमूना बोतल की बॉडी पर जहां पर धागे की गांठ लगाई पर चपडी लगाकर सीलबंद व सीलमुहर किया। विक्रेता व गवाहान ने नियमानुसार पेपरस्लीप व खाकी कागज का क्रॉस करते हुए हस्ताक्षर किये एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। नियमानुसार नमूना लेकर चारों सीलबंद नमूना को अपने जाब्ते में लिया।

यह कि दिलीपसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सूनाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिन्होंने स्वयं ने भी पढ़कर सुनकर एवं समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। उपरोक्त सभी कार्यवाही मैनें गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही की। यह कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहूंचकर फॉर्म न. 06 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील बन्द एवं सील मोहर कर दो फ़ॉर्म न. 06 की प्रति अलग से लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फॉर्म न. 06 की प्रतियां आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर कर डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली को जमा करकर रसीद प्राप्त की एवं किशोर कुमार ने खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला,जोधपुर को जमा कर रसीद प्राप्त की।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली के पत्रांक/एफएसएसए/2025/4716 दिनांक 13.06.2025 एवं जांच रिपोर्ट पत्रांक/एफएसएसए/2025/4715 दिनांक 13.06.2025 एवं जांच रिपोर्ट एल.एस./806/एक्ट/2025/806 दिनांक 22.05.2025 के द्वारा मालुम हुआ कि लिया गया पनीर (खाद्य सामग्री निर्माण स्थल से) नमूना कोड आर–2547 का नमूना अवमानक (Sub Standard) पाया गया है। अतः जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री लुम्बाराम चौधरी मैसर्स चौधरी ढाबा जितु भाई, फालना रोड़ चौराया के पास, साण्डेराव तहसील पाली ने पनीर (खाद्य सामग्री निर्माण स्थल से) अवमानक (Sub Standard) प्रकृति की खाद्य सामग्री का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (2) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिये नोटीस सूचित किया गया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री छगनलाल प्रजापत ने वकालतनामा एवं जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि

1. यह कि अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थी द्वारा उपरोक्त अनवान का प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रार्थी को उपरोक्त प्रकरण में मिथ्या तथ्यों के आधार पर लिप्त किया गया है, जबकि प्रार्थी एक ढाबा व्यवसायी है जहां पर शाम के समय आगन्तुओं व आते जाते व्यक्तियों के लिये गर्म खाना उपलब्ध करवाता है जबकि अप्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार से किसी भी खाद्य पदार्थ, डेयरी उत्पादों का उत्पाद व बनाने का कार्य नहीं किया जाता है। जबकि प्रार्थी द्वारा दिनांक 04.05.2025 को शाम को पांच बजे अप्रार्थी के ढाबे पर उपस्थित होकर प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी की

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 33/2025
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 विनियम 2011
उनवान खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम जितेन्द्र कुमार

रसोई में उपयोग किये जाने वाली सामग्री पनीर जिसे प्रार्थी ने जनक डेयरी फॉर्म गरबा चौक साण्डेराव से उपरोक्त पनीर की खरीद की है जिसका बिल प्रार्थना पत्र के सलंग्न प्रस्तुत है। जिसमें अप्रार्थी की रसोई में तीन किलों पनीर पाया गया जो गुणवता में कम मात्रा होने से अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थी ने उपरोक्त प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर नतीजा श्रीमान् के न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

2. यह है कि प्रार्थी द्वारा किया गया अपराध जिसकी सजा आजीवन कारावास अथवा मृत्यु दंण्ड नहीं है।
3. यह है कि प्रार्थी द्वारा किये गये कार्य की भविष्य में पुनरार्वती नहीं की जायेगी तथा अपने व्यवसाय स्थल पर किसी भी प्रकार से कम गुणवता युक्त सामग्री का उपयोग, उपभोग तथा बैचान नहीं किया जायेगा।
4. यह है कि अप्रार्थी उपरोक्त प्रकरण में लोक अदालत की भावना से अपना जुर्म स्वीकार करता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन है कि जरिए जुर्म स्वीकार उपरोक्त प्रकरण को लोक अदालत की भावना से फैसल शुमार फरमाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थीपक्ष की ओर से बहस के दौरान कोई उपस्थित नहीं होने से अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं सलंग्न दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजों से ज़ाहिर होता है कि दिनांक 04.05.2025 को प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स चौधरी ढाबा (जितु भाई) फालना रोड़ चौराया के पास, साण्डेराव तह. सुमेरपुर ज़ैर कार्यवाही खाद्य सामग्री पनीर (खाद्य सामग्री) नमूना क्रमांक आर–2547 खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला, जोधपुर की जांच रिपोर्ट दिनांक 22.05.2025 में अवमानक (Sub Standard) होना पाया गया। यदि अप्रार्थी खाद्य प्रयोगशाला जोधपुर की उक्त रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होता तो अधिनियम 2006 की दुबारा जांच हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकता था किन्तु पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी द्वारा उक्त जांच रिपोर्ट को चुनौति नहीं दी गई।

इस प्रकार, अप्रार्थी द्वारा अवमानक (Sub Standard) खाद्य सामग्री पनीर नमूना क्रमांक आर–2547 का विक्रय/भण्डारण करना साबित होता है, जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य मानक अधि. 2006 की धारा 26 (2) (ii) के उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर उक्त अधिनियम की धारा 49 में विहित मापदण्डों के अनुक्रम में अधिनियम की धारा 51 में विहित प्रावधानान्तर्गत अवमानक (Sub Standard) श्रेणी की खाद्य सामग्री पनीर नमूना क्रमांक आर–2547 जो उक्त अधिनियम 2006 में यथापरिभाषित है,के विक्रय एवं भण्डारण के कारण कुल 5000/– रुपये मात्र अक्षरे पांच हजार रुपये की शास्ति अधिरोपित की जाती है। साथ ही, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली को निर्देश दिए जाते है कि वे उक्त राशि अप्रार्थी से वसूल

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

P.T.O.

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 33/2025
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 विनियम 2011
उनवान खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम जितेन्द्र कुमार

कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210—चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04—लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानुन के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि" मे जमा करवाकर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 17.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S.
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बाली
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली जिला पाली

दिनांक :

क्रमांक/कोर्ट/खा.सु.प्र.स.33/2025/2025/
प्रतिलिपि :— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जनस्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली
3. खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली,

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बाली
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली जिला पाली

Scanned with OKEN Scanner